तिथि से पूर्व ... दिनांक ...1.1.6.1.2.3... को प्रथम
स्थल पर ... पक्षकार व अभिभावक
को सूचित ... दिनांक ...1.6.23...
को केम्प कोर्ट .... में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक ...1.6.23... को पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश ...
पक्षकार वादी/प्रतिवादी/उपस्थित/अनुपस्थित/प्रकरण ...
पक्षकारान् को लोक ... भावना से निस्तारण ...
हेतु प्रेरित किया गया, ...
सहमति नहीं हुई। अतः ...
हेतु लौटाई जाती है। प... 28.8.23
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

1. आत्माराम पुत्र ...
1. मोलू पुत्र घीस...
2. राज्य सरका...
दावा बा...
मु...

C/N - 155/2017

28/8/23
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. उनके द्वारा मूल वाद पर बहस की गई।
अतः पत्रावली वास्ते मूल वाद पर आदेश हेतु दि. 8/9/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

8/9/23
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 का स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से पत्रावली में शामिल किया गया।
अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

व इजलास रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.

1. आत्माराम पुत्र श्री छोटू जाति बलाई निवासी कढा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादी

नाम

1. भोलू पुत्र घीसा जाति बलाई निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 88, 188 आर. टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर : 155/2017

निर्णय दिनांक : 08/09/2023

न्यायालय हाजा में वकील वादी की उपस्थिति में आज तारीख 08/09/2023 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सहमती जवाब अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर हाल ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा स्थित कृषि भूमि ख0नं0 303 रकबा 03–19–00, ख0नं0 304 रकबा 00–04–00 एवं ख0नं0 302 रकबा 01–05–00 कुल किता 3 कुल रकबा 05–08–00 भूमि में वर्णित अंकन भोलू पुत्र श्री घीसा जाति बलाई 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी आत्माराम पुत्र श्री छोटू जाति बलाई को खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी सं0 1 को वादी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, व्यवधान आदि नहीं करने व बैचान नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह डिक्री आज तारीख 08/09/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व वाद संख्या 155/2017

1. आत्माराम पुत्र श्री छोटू जाति बलाई निवासी कढा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादी

बनाम

1. भोलू पुत्र घीसा जाति बलाई निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 08/09/2023

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर — वादी अभिभाषक

श्री जगदीश गोरा — प्रतिवादी सं0 1 अभिभाषक

निर्णय

1. यह वाद वादी द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 88, 188 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 वादी द्वारा वाद में दावा किया है कि वादी की खरीदशुदा व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम काढ़ा पटवार क्षेत्र काढ़ा तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है। ग्राम काढ़ा स्थित वर्तमान ख0नं0 303 रकबा 03–19–00, ख0नं0 304 रकबा 00–04–00 एवं ख0नं0 302 रकबा 01–05–00 कुल किता 3 कुल रकबा 05–08–00 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 01.08.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बैचान कर मौके पर वादी को कब्जा संमला दिया तब से वादी सतत्, निरन्तर रूप से काबिज काश्त करता आ रहा है। वादी ने उपरोक्त वर्णित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद करने के पश्चात् आज दिन तक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। प्रतिवादी सं0 2 के समक्ष विक्रय पत्र निष्पादन के पश्चात् अधिकार अभिलेख में बैचान नामान्तकरण खुलवाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु प्रतिवादी सं0 2 द्वारा किसी भी प्रकार से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के कारण यह वाद न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में से 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी सं0 1 को पूर्ण प्रतिफल अदायगी कर आराजी का विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

पत्र उप–उपपंजीयक कार्यालय किशनगढ़ में निष्पादन करवाया गया है। जब से वादी उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त करता आ रहा है। वादी पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार से प्रश्नगत आराजी में 1/2 हिस्से में खातेदारी उद्घोषणा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। वादी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र से अधिकार अभिलेख में नामान्तकरण इन्द्राज नहीं होने से प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अवैध अनुचित तरिके से उपरोक्त वर्णित आराजी को पुनः बैचान करने पर उद्वत है। इस कारण प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादी सं0 2 को राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ताकि वाद कि बहुलता नहीं बढ़े इस कारण से वादी सद्भाविक रूप से न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी सद्भाविक क्रेता है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत् सद्भाविक कृषक की श्रेणी में इंगित होता है। वाद कारण दिनांक 10.08.2017 को तब उत्पन्न हुआ जब वादी पटवारी हल्का के समक्ष उपरोक्त आराजी में ऋण प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया तब पटवारी हल्का द्वारा वादी का अधिकार अभिलेख में इन्द्राज नहीं होने बाबत् कथन किये गये तब वादी द्वारा अपने परिचित को साथ लेकर दिनांक 11.08.2017 को पटवारी हल्का से पुनः सम्पर्क कर प्रश्नगत आराजी की वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जब सम्पूर्ण जानकारी अवगत होने के पश्चात् अविलम्ब अधिवक्ता से समपर्क कर न्यायालय के समक्ष यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है तब से वाद कारण निरन्तर जारी है। अतः वादी द्वारा ग्राम काढ़ा स्थित कृषि आराजी ख0नं0 303 रकबा 03–19–00, ख0नं0 304 रकबा 00–04–00 एवं ख0नं0 302 रकबा 01–05–00 कुल किता 3 कुल रकबा 05–08–00 भूमि में से दिनांक 01.08.2013 को अपने पक्ष निष्पादित 1/2 हिस्से के विक्रय पत्र एवं मौके पर काबिज काश्त होने के कारण वादी को खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी करने एवं प्रतिवादी सं0 1 को बैचान नहीं करने व प्रतिवादी सं0 2 को रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादीगण को संख्याक–4 हेतुक दर्शित के लिए सूचना (साधरण प्रारूप) हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्री जगदीश गोरा द्वारा सहमती का जवाब दावा पेश किया गया एवं प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार सरकार द्वारा समुचित अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 26.10.2018 को उनका जवाब दावा बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

4. प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 की ओर से सहमती का जवाब पेश कर अंकित किया कि वादी ही बैचान की गयी भूमि पर काबिज काश्त है एवं अन्य व्यक्ति का कोई दखल अन्दाज नहीं है। वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से प्रतिवादी के कोई विपरित प्रभाव नहीं है। अतः वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा को रिकार्ड पर लेने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

5.1 वकील वादी द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब दावे में अंकित कथनों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में से वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उनका 1/2 हिस्सा क्रय किया गया है एवं क्रय दिनांक से ही वे उक्त खरीदशुदा 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी सं0 2 के समक्ष विक्रयपत्र निष्पादन के पश्चात् अधिकार अभिलेख में बैचान नामान्तकरण खुलवाने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2013 को प्रस्तुत किया गया था परन्तु प्रतिवादी सं0 2 द्वारा किसी भी प्रकार से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के कारण यह वाद पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने जवाब दावे में कोई विरोध के तथ्य अंकित नहीं करने से व स्वीकारोक्ति का जवाब दिनांक 15.11.2017 को प्रस्तुत करने से न्यायालय द्वारा कोई विवादित बिन्दू कायम नहीं किये गये है एवं वादी पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उद्घोषणा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो पंजीकृत दस्तावेज को प्रदर्शित करने उएवं जमाबन्दियों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती है। चूंकि उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में होने से प्रदर्श करना आवश्यक नहीं है। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 19 के तहत् लोक दस्तावेज होने एवं पंजीकृत होने से साक्ष्य में पूर्ण रूप से ग्राह्य है इस कारण पंजीकृत दस्तावेज स्वयं सिद्ध होने से खातेदारी प्राप्ति करने का वादी कानूनन अधिकारी है। वादी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र से अधिकार अभिलेख में नामान्तकरण इन्द्राज नहीं होने से प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अवैध अनुचित तरीके से उपरोक्त वर्णित आराजी को पुनः बैचान करने पर उद्धत है इस कारण प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादी सं0 2 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ताकि वाद की बाहुलता नहीं बढ़े। अतः वकील वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रयशुदा 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी करने एवं प्रतिवादी सं0 2 को रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया।

6. हमारे द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात् एवं प्रतिवादी सं0 1 के जवाब का अद्योपांत अवलोकन एवं अध्ययन किया जाकर बहस पक्षकारान् सुन मनन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 का सहमती का प्रतिउत्तर प्राप्त होने के कारण प्रकरण में विवादक बिन्दू कायम नहीं किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2013 अनुसार प्रतिवादी सं0 1 भोलू पुत्र श्री घीसा जाति बलाई निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 द्वारा ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा स्थित सहखातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 303 रकबा 03–19–00, ख0नं0 304 रकबा 00–04–00 एवं ख0नं0 302 रकबा 01–05–00 कुल किता 3 कुल रकबा 05–08–00 भूमि में से अपने 1/2 हिस्से का वादी आत्माराम पुत्र श्री छोटू जाति बलाई को बैचान किया गया है एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने जवाब दावा में भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया गया है।

अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पेश सहमती जवाब अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा स्थित कृषि भूमि ख0नं0 303 रकबा 03–19–00, ख0नं0 304 रकबा 00–04–00 एवं ख0नं0 302 रकबा 01–05–00 कुल किता 3 कुल रकबा 05–08–00 भूमि में वर्णित अंकन भोलू पुत्र श्री घीसा जाति बलाई 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी आत्माराम पुत्र श्री छोटू जाति बलाई को खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी सं0 1 को वादी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, व्यवधान आदि नहीं करने व बैचान नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08/09/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)